न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 21 / 2016

प्रार्थी		**विप्रार्थी**
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	**बनाम्**	हरीसिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी खेतेश्वर कॉलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर (फर्म मैंसर्स महाखेतेश्वर आईस्क्रीम पार्लर कचहरी रोड़ बालोतरा का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से
2. विप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 06.03.2017**

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.06.2016 को दोपहर 1.30 बजे प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी के दौराने निरीक्षण जरिये सरकारी वाहन से मैसर्स महाखेतेश्वर आईस्क्रीम पार्लर कचहरी रोड़ बालोतरा पहुॅचने पर फर्म में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम हरीसिंह पुत्र मांगीलाल जाति राजपुरोहित निवासी खेतेश्वर कॉलोनी बालोतरा जिला बाड़मेर (फर्म मैसर्स महाखेतेश्वर आईस्क्रीम पार्लर कचहरी रोड़ बालोतरा का मालिक) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स महाखेतेश्वर आईस्क्रीम पार्लर कचहरी रोड़ बालोतरा का निरीक्षण करने पर दुकान में आईस्क्रीम (खुली) (दूध व शक्कर से निर्मित) के 100 पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए पाये गए। निरीक्षण के दौरान् आईस्क्रीम में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त 100 पैकेटो में से 28 पीस खरीदे, जिसका भुगतान मालिक विकेता को 240/– रूपये नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। उक्त 28 पीस को खोलकर एक स्टील की भगोनी, जो दुकान में रखी हुई थी, में डाला तथा हिला–हिलाकर एकरूप कर उसे चार कॉच की शीशीयां में बराबर–बराबर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मात्रा में भरा तथा प्रत्येक शीशी में 36–36 बूंद बतौर प्रिजरवेटिव फारमेलिन डालकर कर प्रत्येक शीशी पर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी.659 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किया। प्रत्येक नमूने को मोटे व ख़ाखी कागज में लपेट कर नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–659 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने के लिऐ फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया तथा एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाई। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि आईस्क्रीम का नमूना पी–659 की जॉच रिपोर्ट एलएस/710/एक्ट/2016/730 दिनांक 23.06.2016 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना पी–659 निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से अवमानक स्तर (sub-standard) का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ आईस्क्रीम का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी. 659 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी ने दिनांक 22.2.2017 को जवाब प्रस्तुत किया।

3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 10.06.2016 को निरीक्षण के दौरान् मैसर्स महाखेतेश्वर आईस्क्रीम पार्लर कचहरी रोड़ बालोतरा की दुकान में आईस्क्रीम (खुली) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा लेब जोधपुर की जांच रिपोर्ट में आईस्क्रीम (खुली) का नमूना पी. 659 जांच में अवमानक स्तर (sub-standard) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. विप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान् जाहिर किया कि आईस्कीम में उनके स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। आईस्क्रीम जोधपुर की फर्म से तैयार करवाई जाकर मंगवाई जाती है, भविष्य में अपनी दुकान पर अच्छी क्वालिटी की आईस्क्रीम विक्रय करूगां, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण का निस्तारण करावें।

5. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार आईस्क्रीम (खुली) का नमूना पी. 659 अवमानक स्तर (sub-standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी हरीसिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत अवमानक पाई गई आईस्क्रीम (खुली) बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (sub-standard) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

धारा 51 में अप्रार्थी हरीसिंह पर रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.03.2017 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर